

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)


**// परिपत्र //**

क्रमांक 75 / कोविड-19 / 16

हरदा, दिनांक 10/04/2023

यथानिर्देशानुसार वर्तमान कोविड संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए उसके प्रसार को निवारित करने के उद्देश्य से यह उचित प्रतीत होता है कि न्यायालय में अधिवक्तागण, पीठासीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करें, तथा न्यायालय कक्षों एवं परिसर में अनावश्यक भीड़ न लगायी जावे ।

अतः उपरोक्त निर्देशों के पालन हेतु न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अध्यक्ष अधिवक्ता संघ हरदा, टिमरनी/खिरकिया, को सूचित कराया जावे ।


  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
हरदा (म0प्र0)

पृ0क्र0.486 / कोविड-19 / 19

हरदा, दिनांक 10/04/2023

प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण हरदा, टिमरनी एवं खिरकिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ हरदा, टिमरनी एवं खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त न्यायिक कर्मचारीगण की ओर जिला नाजिर के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित ।
4. सिस्टम आफिसर, सर्वर रूम हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. लेखापाल/देयक लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
हरदा (म0प्र0)